दिनांक 06.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति 245/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद हरदोई/थाना मल्लावां

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त घायल/मृत**
- **चोरी की 01 सिम, 01 मोबाइल फोन**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 06.05.2026 को थाना मल्लावां व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, बदमाश द्वारा की गई फायरिंग में एसओजी प्रभारी राजेश कुमार घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मैनूर उर्फ शैनूर उर्फ मैनुद्दीन घायल हो गया, जिसके कब्जे से चोरी की 01 सिम, 01 मोबाइल फोन, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। जहाँ पर इलाज के दौरान चिकित्सकों द्वारा अभियुक्त मैनूर उर्फ शैनूर उर्फ मैनुद्दीन को मृत घोषित कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त मैनूर उर्फ शैनूर उर्फ मैनुद्दीन थाना ठठिया जनपद कन्नौज का हिस्ट्रीशीटर कुख्यात अपराधी था, जिसके विरूद्ध जनपद फतेहगढ़, कन्नौज, हरदोई के विभिन्न थानो में हत्या, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त थाना मल्लावां पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मल्लावां पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>मृत अभियुक्त</u>

1–मैनूर उर्फ शैनूर उर्फ मैनुद्दीन निवासी ग्राम रोरा निस्तौली टठिया जनपद कन्नौज।

बरामदगी

1—चोरी की 01 सिम, 01 मोबाइल फोन।

2—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3—01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद श्रावस्ती/थाना हरदत्तनगर गिरण्ट

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **नगद रूपये**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 06.05.2026 को थाना हरदत्तनगर गिरण्ट व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर देवरनिया नहर पुल के पास बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त दौलत अली घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से नगद रूपये, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद श्रावस्ती के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना हरदत्तनगर गिरण्ट पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हरदत्तनगर गिरण्ट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दौलत अली निवासी नया भदौरा दा0 मीरामऊ थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती।

बरामदगी

1—नगद रूपये।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद हाथरस/थाना कोतवाली नगर

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 स्विफ्ट कार (बिना नम्बर) बरामद**

दिनांक 05.05.2026 को थाना कोतवाली नगर, थाना सासनी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सुसायत कलां मोड के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–विवेक उर्फ छोटू उर्फ सूरज 2–विशाल 3–मौनिस कान्त घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 4–मोनू सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 स्विफ्ट कार (बिना नम्बर) बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त मोनिशकान्त के विरूद्ध जनपद हाथरस के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग, अभियुक्त विशाल के विरूद्ध जनपद हाथरस के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग एवं अभियुक्त विवेक के विरूद्ध जनपद हाथरस के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त 1–विवेक उर्फ छोटू उर्फ सूरज 2–विशाल 3–मौनिस कान्त थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विवेक उर्फ छोटू उर्फ सूरज निवासी खमानी गढ़ी थाना सादाबाद जनपद हाथरस।

2–विशाल निवासी रामलीला ग्राउंड वाली गली थाना कोतवाली नगर जनपद हाथरस।

3–मौनिस कान्त निवासी चित्रकूट बगीची आगरा रोड थाना कोतवाली नगर जनपद हाथरस।

4–मोनू निवासी मुकुंदपुर बिसावर थाना सादाबाद जनपद हाथरस।

बरामदगी

1–04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 स्विफ्ट कार (बिना नम्बर)।

जनपद हरदोई/थाना टडियावां

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **पीली धातु के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 05ध्06.05.2026 को थाना टडियावां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बर्रा तिराहा के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त प्रियांशु घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से पीली धातु के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना टडियावां पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना टडियावां पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रियाशुं निवासी बहादुरपुर थाना लहरपुर जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1–पीली धातु के आभूषण।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–01 मोटर साइकिल।

जनपद अमरोहा/थाना डिडौली

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 05.05.2026 को थाना डिडौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, बदमाश द्वारा की गई फायरिंग में प्रभारी निरीक्षक घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त हारून घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद अमरोहा, मुरादाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 06 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना डिडौली पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना डिडौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–हारून निवासी ग्राम ढकिया थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1–01 मोबाइल फोन।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–113

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 09 मोटर साइकिल व 01 मोटर साइकिल के पार्टस**
- **लूट/चोरी के 04 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 06.05.2026 को थाना सेक्टर–113 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम पर्थला के पास से 03 अभियुक्तों 1–राहुल उर्फ शेरा 2–सनी कुमार 3–वासु को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 मोटर साइकिल व 01 मोटर साइकिल के पार्टस, लूट/चोरी के 04 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–113 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राहुल उर्फ शेरा निवासी ग्राम महोली थाना करताई जनपद करौली राजस्थान, हालपता बरौला थाना सेक्टर–49 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2–सनी कुमार निवासी उन्नति विहार सेक्टर–123 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

3–वासु निवासी अम्बेडकर सिटी सेक्टर–123 थाना सेक्टर–113 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–चोरी की 09 मोटर साइकिल व 01 मोटर साइकिल के पार्टस।

2–लूट/चोरी के 04 मोबाइल फोन आदि।

जनपद मेरठ/थाना इंचोली

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **06 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर**
- **07 जीवित, 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 05.05.2026 को थाना इंचोली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम खरदौनी के पास से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर

रहे 04 अभियुक्तों 1–इमरान 2–कुलदीप 3–नरेन्द्र 4–उमंग उर्फ देवा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 06 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 07 जीवित, 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना इंचोली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–इमरान निवासी ग्राम खरदौनी थाना इंचोली जनपद मेरठ।

2–कुलदीप निवासी खेड़ी थाना दौराला जनपद मेरठ।

3–नरेन्द्र निवासी ग्राम अंदावली थाना इंचोली जनपद मेरठ।

4–उमंग उर्फ देवा निवासी मटौर थाना दौराला जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–06 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर।

2–07 जीवित, 03 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3–भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

- **जनपद मीरजापुर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 03 करोड़ 30 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद मीरजापुर पुलिस ने अभियुक्त 1–राकेश कुमार सरोज पुत्र सुभाषचन्द्र सरोज निवासी ग्राम मलई की बारी तरकापुर थाना को0देहात जनपद मीरजापुर 2–अभियुक्ता पत्नी स्व0 रामचन्द्र सिंह निवासी रामपुर कला थाना कोरांव जनपद प्रयागराज द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 03 करोड़ 30 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **जनपद आजमगढ़/थाना देवगांव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 07 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना देवगांव पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–प्रदीप उर्फ

दिलीप 2–लाल बहादुर को धारा 147/148/302/149 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 02 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 3–सुरेन्द्र 4–रणजीत 5–अजय 6–उमेश 7–अभियुक्ता को धारा 147/148/302/149 भादवि के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 01 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बांदा/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 16 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377/342 भादवि, 6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अमित उर्फ करा को आजीवन कारावास व 16 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद इटावा/थाना इकदिल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना इकदिल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/120बी भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–धर्मेन्द्र 2–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————